पत्रांक–16/से.गा.अ.–01–04/2016–12679/

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 29/12/2017.

विषय :– **झारसेवा पोर्टल पर 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रकिया निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारण्टी अधिनियम अन्तर्गत जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम समय सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित है। किन्तु कई बार नियोजन/नामांकन/सरकारी योजनाओं के मामले में संबंधित कार्यालय/संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण पत्रों की मांग 30 कार्य दिवस से कम की अवधि में की जाती है। उक्त स्थिति में आवेदक के साथ–साथ प्रमाण पत्र निर्गमन से संबंधित कार्यालय के पदाधिकारी/कर्मचारी की परेशानी बढ़ जाती है।

सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जाति/स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्रों आदि के निर्गमन हेतु झारसेवा पोर्टल पर **'तत्काल सेवा'** प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। आवेदकों को 'तत्काल सेवा' के तहत निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

1. नियोजन, नामांकन अथवा किसी सरकारी योजना के मामले में 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु आवेदन करते समय आवेदक को संबंधित संस्थान/कार्यालय, जिनके द्वारा प्रमाण पत्र की मांग की गई हो, के स्तर से निर्गत मांग पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक को संबंधित संस्थान/कार्यालय (नियोजन/नामांकन आदि के संबंध में) के द्वारा निर्गत मांग पत्र के आधार पर स्थानीय अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता/उपायुक्त से तत्काल सेवा हेतु अर्हता का पूर्व सत्यापन कराना आवश्यक होगा, जिससे ऑनलाईन आवेदन दायर होने के पश्चात् उसका निर्गमन सुगमतापूर्वक सुनिश्चित हो सके। (आवेदन–सह–सत्यापन प्रपत्र का प्रारूप संलग्न)
3. नियोजन, नामांकन अथवा किसी सरकारी योजना के मामले में जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र के संबंध में मांग पत्र जारी करने वाले संस्थान/कार्यालय द्वारा यदि 30 दिनों की अवधि से कम समय में संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो ऐसे मामले 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत विचारित किये जा सकेंगे।
4 यदि आवेदक को नियोजन, नामांकन अथवा किसी सरकारी योजना के मामले में जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र हेतु मांग पत्र जारी करने वाले संस्थान/कार्यालय से उक्त आशय की सूचना प्राप्ति की तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र

समर्पित किये जाने की अवधि 30 दिनों से कम समय की है, तो ऐसे मामले 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत विचार किए जा सकेंगे।

5. 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत दायर होने वाले आवेदनों के विरूद्ध 10 कार्य दिवस के अन्दर प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

6. झारसेवा पोर्टल पर उपर्युक्त प्रमाण पत्रों के निष्पादन में क्रमानुसार सर्वप्रथम **'तत्काल'** कोटि इसके पश्चात् **'old'** कोटि एवं तदुपरान्त **'Normal'** कोटि के आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 'तत्काल सेवा' को अत्यन्त आकस्मिकता के मामलों को निष्पादित करने हेतु प्रारम्भ किया गया है। अतः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सामान्यतः छात्र–छात्राओं को कक्षा 8 एवं उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् होने के दौरान ही अभियान के माध्यम से यथा अर्हता प्रमाण पत्र सुलभ करा दिए जाएँ। इसी प्रकार अन्य उपाय किए जायँ जिससे तत्काल सेवा हेतु आवेदनों की संख्या नियंत्रण में रहे।

विश्वासभाजन

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव

जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र के संबंध में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता सत्यापन संबंधी आवेदन

(दो प्रतियों में)

सेवा में,

....

....

....

महाशय,

मुझे ....(संस्थान/कार्यालय का नाम) द्वारा दिनांक–................................ तक जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ है। संबंधित संस्थान/कार्यालय के मांग पत्र की प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मेरे पक्ष में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्यापन निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान–...................................

दिनांक–.................................

नाम–..

पिता/पति का नाम...

स्थायी पता–...

....

मोबाईल नं०–..

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

ज्ञापांक–..................................

दिनांक–..................................

कार्यालय का नाम – ....

तत्काल सेवा हेतु अर्हता का सत्यापन

झारसेवा पोर्टल पर जाति/स्थानीय निवासी/आय प्रमाण पत्र के लिए तत्काल सेवा प्राप्त करने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति का नाम .... पता .... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा उसके साथ अनुलग्न संबंधित संस्थान/कार्यालय के एतद् संबंधी ज्ञापन/दस्तावेज का अवलोकन किया।

इनका आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–...................., दिनांक–................................ में वर्णित प्रावधान के आलोक में 'तत्काल सेवा' अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्वीकार करने योग्य पाया।

सत्यापन करनेवाले पदाधिकारी
का हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम–..

पदनाम –...